न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

2023-214 RAAJodhpur2023-104RTA223 Devisingh Vs Anju kanwar etc
2023-330 RAAJodhpur2023-114RTA223 Jaisingh Vs Anju Kanwar etc

01. देवीसिंह पुत्र स्व. श्री रतनसिंह
02. शिवसिंह पुत्र श्री देवीसिंह
03. विक्रमसिंह पुत्र श्री देवीसिंह
जातियान् राजपूत, निवासीगण– ग्राम बनाड़, तहसील व जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट्स ...

ब
ना
म

01. अंजु कंवर पत्नी हुक्मसिंह चौहान, जरिये आम मुख्त्यार हुक्मसिंह चौहान पुत्र श्री रामलाल चौहान, जाति राजपूत, निवासी प्लॉट संख्या 48–ए.जी. कॉलोनी बजाज नगर, जयपुर।
02. जयसिंह पुत्र श्री नन्दसिंह जाति राजपूत, निवासी– 102 हनुमान जी मंदिर के पास भगत की कोठी, पाली रोड़, जोधपुर।
03. श्रीमती अरूणा पत्नी फतेहसिंह मांगलिया, जाति राजपुत, निवासी– प्लॉट संख्या 38 गंगा विहार सेक्टर 2 के सामने सांगरिया रोड़, बासनी जोधपुर।
04. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जोधपुर।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 24 मई 2023 सहायक कलक्टर उत्तर जोधपुर राजस्व मूल वाद संख्या 386/2021 अंजु कंवर बनाम लक्ष्मी इत्यादि

उपस्थित–
श्री बाबुलाल गोरा, अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स
श्री माधवराज चौधरी, अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1
श्री जगदीश प्रजापत, अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 2
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 4

(02)2023-330RAAJodhpur2023-114 RTA223 Jaisingh Vs Anju Kawar etc

जयसिंह पुत्र श्री नन्दसिंह जाति राजपूत, निवासी– 102 हनुमान जी मंदिर के पास भगत की कोठी, पाली रोड़, जोधपुर।

अपीलाण्ट ...

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

ब

ना

म

01. अंजु कंवर पत्नी हुक्मसिंह चौहान, जरिये आम मुख्त्यार हुक्मसिंह चौहान पुत्र श्री रामलाल चौहान, जाति राजपूत, निवासी प्लॉट संख्या 48–ए.जी. कॉलोनी बजाज नगर, जयपुर।
02. श्रीमती अरूणा पत्नी फतेहसिंह मांगलिया, जाति राजपुत, निवासी– प्लॉट संख्या 38 गंगा विहार सेक्टर 2 के सामने सांगरिया रोड़, बासनी जोधपुर।
03. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जोधपुर।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 24 मई 2023 सहायक कलक्टर उत्तर जोधपुर राजस्व मूल वाद संख्या 386/2021 अंजु कंवर बनाम लक्ष्मी इत्यादि

उपस्थित–
श्री जगदीश प्रजापत, अधिवक्ता–अपीलाण्ट
श्री माधवराज चौधरी अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 3

नि र्ण य

दिनांक : 03 दिसंबर 2024

अपीलाण्ट्स ने सहायक कलक्टर उत्तर जोधपुर द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 386/2021 अनवान अंजु कंवर बनाम लक्ष्मी इत्यादि में पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 24 मई 2023 के खिलाफ आलौच्य अपीले अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत क्रमशः दिनांक 09 जून 2023 एवं 22 जून 2023 को प्रस्तुत की है। अपीलांट्स ने अपील संख्या 104/2023 में अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान किये जाने का निवेदन किया।

दोनो अपीलों की विषय–वस्तु, प्रकृति, कानूनी बिंदु समान होने तथा एक ही आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत होने के कारण एक ही निर्णय में निस्तारित की जा रही है। प्रत्येक अपील में अलग– अलग निर्णय प्रति रखी जावे।

प्रकरंण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या एक ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 344 रकबा 100 बीघा 14 बिस्वा ग्राम बनाड़ तहसील जोधपुर के संबंध धारा 88, 53 एवं 188 आर.टी.एक्ट के तहत वाद प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजी में खातेदारी अधिकारो की घोषणा, विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञ की इस्तदुआ चाही। अपील संख्या 104/2023 के अपीलांट्स की ओर से विचारण न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 01 नियम 10 सीपीसी प्रस्तुत करने पक्षकार बनाये जाने का निवेदन किया। उक्त प्रार्थना पत्र को विचाराधीन रखते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद प्राथमिक रूप से स्वीकार कर निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 24 मई 2023 पारित कर तहसीलदार जोधपुर से विभाजन प्रस्ताव तलब किये जाने के आदेश दिये गये, जिसके विरूद्ध आलौच्य अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स(अपील संख्या 104/2023) ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 344 रकबा 100 बीघा 14 बिस्वा ग्राम बनाड़ का वक्त सेटलमेंट का पट्टा अपीलांट्स के पूर्वज रतनसिंह के नाम से जारी किया गया था तथा वक्त सेटलमेंट से अपीलांट्स का मौके पर निरंतर कब्जा काश्त है। अपीलांट्स की उक्त आराजी के चारो ओर तारबंदी है तथा मौके पर अपीलांट्स की रहवासीय ढाणियॉ, पशुओं के बाड़े, भगवान का मंदिर, भोमियाजी का थान एवं पानी के होद इत्यादि बने हुए है। अपीलांट्स की ओर से विचारण न्यायालय के समक्ष राजस्व वाद संख्या 178/2021 अनवान किशनकंवर बनाम लक्ष्मी कंवर अन्तर्गत धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया हुआ है जो वर्तमान में विचाराधीन है। रेस्पोडेंट्स संख्या एक द्वारा उक्त वाद के विचाराधीन रहते अपीलांट्स को पक्षकार संयोजित किये बिना नवीन वाद प्रस्तुत कर एकपक्षीय अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री प्राप्त कर ली। विवादित भूमि के संबंध में सहायक कलक्टर द्वारा धारा 136 भू राजस्व अधिनियम के तहत पारित आदेश के विरूद्ध अपील अतिरिक्त संभागीय आयुक्त के समक्ष विचाराधीन है तथा माननीय राजस्व मण्डल से वादग्रस्त आराजी के संबंध में स्थगन आदेश पारित किया गया है। रेस्पोडेंट्स की ओर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

से फर्जी बेचाननामा निष्पादित किये जाने पर अपीलांट्स की ओर से रेस्पोडेंट्स के विरूद्ध एक फौजदारी सीआर नंबर 97/2022 अन्तर्गत धारा 420, 467, 468, 471, 120 बी आईपीसी का मुकदमा दर्ज करवाया, जिसमें पुलिस ने इनका फर्जीवाड़ा माना व बेचाननामा व नामांतरकरण कूटरचित पाये गए, जिससे उक्त भूमि पर रेस्पोडेंट्स का किसी प्रकार का हक अधिकार नहीं बनता है एवं न ही विवादित खसरे की भूमि पर इनका कभी भी कब्जा काश्त रहा है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री अपास्त योग्य है। अपीलांट्स की ओर से विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 सीपीसी प्रस्तुत कर वाद में पक्षकार संयोजित किये जाने का निवेदन किया। विचारण न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र को विचाराधीन रखते हुए अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की है जो अपास्त योग्य है।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी पर अपीलांट्स के अधिक्ता ने निवेदन किया कि अपीलांट्स वादग्रस्त आराजी पर वक्त सेटलमेंट से काबिज काश्त है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा काबिज व्यक्ति को दावे में पक्षकार संयोजित किये जाने उनके विरूद्ध एकपक्षीय निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री पारित की गई है। अपीलांट्स की ओर से विचारण न्यायालय के समक्ष पक्षकार बनने हेत आवेदन भी प्रस्तुत किया, किंतु विचारण न्यायालय द्वार उक्त आवेदन पर किसी प्रकार का आदेश पारित किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित कर दी। ऐसी स्थिति में अपीलांट्स मामले में हितबद्ध पक्षकार होने से अपील प्रस्तुत करने के अधिकारी है।

अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी स्वीकार फरमाया जावे एवं अपीलांट्स को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान करते हुए अपील गुणावगुण पर स्वीकार की जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर उत्तर जोधपुर द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 386/2021 अनवान अंजु कंवर बनाम लक्ष्मी इत्यादि में पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 24 मई 2023 को खारिज फरमाया जावे।

अपील संख्या 114/2023 के अपीलांट के अधिवक्ता ने अपीलांट्स(104/2023) के कथनों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी अपीलांट की खातेदारी की भूमि है, जिसमें अपीलांट देवीसिंह, शिवसिंह,

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

विक्रमसिंह का कोई हक व अधिकार नहीं है। अपीलांट जयसिंह की ओर से विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद का जवाब प्रस्तुत कर दावे को अस्वीकार किया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा तनकी संख्या एक वादीनी के पक्ष में करने में विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि की है। वादीनी ने नैनसिंह की पुत्री होने के दस्तावेज पेश किये है, जबकि अपीलांट प्रतिवादी के पिता का नाम नन्दसिंह है तथा राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में नन्दसिंह नाम दर्ज है। वादीनी स्वयं साक्ष्य में पेश नहीं हुई तथा न ही उसने यह साबित किया कि नैनसिंह व नन्दसिंह एक ही व्यक्ति है, केवल उर्फ लिख दिये जाने से नैनसिंह को नन्दसिंह नहीं माना जा सकता है। वादीनी ने दावा विवादग्रस्त आराजी में 1/4 हिस्से की खातेदारी घोषणा एवं बंटवाड़े का पेश किया था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना दावे में संशोधन किये वादीनी को 1/3 हिस्से का खातेदार घोषित कर दिया। वादीनी स्वयं साक्ष्य में उपस्थित नहीं हुई आम मुख्त्यार हुकमसिंह के ब्यान करवाये गये। आम मुख्त्यार वादीनी के स्थान पर बयान देने के लिए सक्षम नहीं है। वादीनी की ओर से प्रस्तुत स्कूल प्रगति पत्र में भी उसके पिता का नाम नैनसिंह लिखा हुआ है। ऐसी स्थिति में पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में वाद खारिज योग्य है। विचारण न्यायालय द्वारा बिना विभाजन ही अपीलांट के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा का आदेश पारित कर दिया जो विधिक रूप से समर्थन योग्य नहीं होने से खारिज योग्य है। अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपीलांट देवीसिंह वगैरह की ओर से प्रस्तुत अपील को खारिज फरमाया जावे एवं अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील को स्वीकार फरमाया जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24 मई 2023 को निरस्त फरमाया जावे।

जवाब में रेस्पोडेंट संख्या एक ने अपनी बहस में अपील संख्या 104/2023 के संबंध में निवेदन किया कि अपीलाण्ट्स के पूर्वज स्व. रतनसिंह द्वारा अपने जीवनकाल में ही वादग्रस्त आराजी का मूल्यवान प्रतिफल लेकर स्व. जीवनसिंह के पक्ष में जरिये पंजीबद्ध विक्रय विलेख दिनांक 11 मार्च 1955 को बेचान कर कब्जा सुपुर्द कर दिया गया था, जिसके अनुसरण में म्युटेशन संख्या 13/55 दिनांक 20 मई 1955 को स्वीकृत किया जाकर केता जीवनसिंह का नाम बतौर खातेदार राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया गया। उक्त म्युटेशन इन्द्राज बापी पट्टा में उल्लेखित है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 प्रभाव मे आने पर वादग्रस्त आराजी उक्त जीवनसिंह के नाम दर्ज

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

हुई तथा जीवन सिंह के देहान्त के बाद विरासतन वादग्रस्त आराजीयात किशोरसिंह व नन्दसिंह उर्फ नैनसिंह पिसरान जीवनसिंह के नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज की गयी। किशोर सिंह पुत्र जीवनसिंह अविवाहित फौत हो गया। वर्तमान में मौके पर स्व. नन्दसिंह के वारिसान रेस्पो. संख्या एक से तीन का कब्जा काश्त है।

वकील रेस्पो. ने अपनी बहस जारी रखते हुए जाहिर किया कि वादग्रस्त आराजियात के संबंध में अदालत हाजा द्वारा पूर्व में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत अपील संख्या 81/2019 जीसीएमएस संख्या 2019–00183 श्रीमती लक्ष्मी कंवर व अन्य बनाम श्रीमती किशनकंवर इत्यादि का निस्तारण दिनांक 25 फरवरी 2020 को करते हुए वादग्रस्त आराजी के संबंध में लक्ष्मी कंवर पत्नी नैनसिंह उर्फ नन्दसिंह तथा जयसिंह पुत्र नैनसिंह उर्फ नन्दसिंह के पक्ष में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की गयी, जिसके खिलाफ माननीय राजस्व मण्डल में प्रस्तुत निगरानी संख्या 1301/2020/जोधपुर श्रीमती किशनकंवर व अन्य बनाम श्रीमती लक्ष्मीकंवर इत्यादि दिनांक 16 मार्च 2020 को एडमिशन के स्तर पर ही खारिज की जा चुकी है और माननीय राजस्व मण्डल के उक्त आदेश के खिलाफ वर्तमान में एस बी सिविल रिट पेटीशन संख्या 10113/2020 श्रीमती किशन कंवर बनाम श्रीमती लक्ष्मीकंवर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। अधिक्ता रेस्पो. संख्या एक ने यह भी कथन किया कि विचारण न्यायालय के समक्ष जिस वाद संख्या 178/2021 किशनकंवर बनाम लक्ष्मी कंवर का अपीलाण्ट्स की ओर से उल्लेख किया गया है, उसमें वादी–अपीलाण्ट द्वारा वादग्रस्त आराजी बाबत स्वयं के पक्ष में खातेदारी अधिकारों की घोषणा किये जाने एवं वादग्रस्त आराजी बाबत निष्पादित बेचान इकरार को अवैध शून्य एवं निष्प्रभावी घोषित करने का अनुतोष चाहा गया है। जिससे जाहिर है कि आलौच्य प्रकरण से संबंधित मूलवाद एवं उक्त वाद की प्रकृति एवं स्कोप भिन्न–भिन्न है। यदि इनके दावे में सफलता मिलती है तो राजस्व रेकर्ड स्वतः ही परिवर्तित हो जायेगा। यह भी उल्लेखनीय है कि अपीलांट्स जयसिंह वगैरह ने अत्यंत विलंब से विचारण न्यायालय के समक्ष पक्षकार बनने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। लिहाज प्रस्तुत अपील अनुमति बाधित एवं सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपील संख्या 114/2023 के संबंध में वकील रेस्पोडेंट्स ने अपनी बहस में निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजीयात वादीनी/रेस्पो. संख्या एक के दादा जीवनसिंह की खातेदारी भूमि होने से रेस्पोडेंट संख्या एक की पुश्तैनी भूमि है, जिसमें वादीनी का हक–हिस्सा जन्म से निहित है। विचारण न्यायालय द्वारा उभय पक्ष की सुनवाई उपरांत प्रस्तुत दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य के आधार पर विधिसम्मत निर्णय एवं डिक्री पारित की है। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख पट्टा बापी गांव बनाड़ परगना जोधपुर के मुताबिक वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 344 रकबा 100 बीघा 14 बिस्वा का पट्टा अपीलांट संख्या एक के पिता रतनसिंह वल्द सावतसिंह के नाम से जारी किया जाना पाया जाता है। अपीलांट्स का कथन है कि स्व. रतनसिंह वल्द सांवतसिंह द्वारा द्वारा अपने जीवन काल में वादग्रस्त आराजी का बेचान नहीं किया गया है। इस संबंध में पुलिस अनुसंधान रिपोर्ट के मुताबिक विवादित बेचाननामा रतनसिंह बहस जीवनसिंह का पंजीयन नहीं होना पाया गया है तथा उक्त बेचाननामा की पालना वादग्रस्त आराजी रतनसिंह से जीवनसिंह के नाम दर्ज किये जाने हेतु भरा गया नामांतरकरण भी तहसील कार्यालय में उपलब्ध नहीं होना बताया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध पुलिस अनुसंधान की मौका फर्द में भी वादग्रस्त आराजीयात पर अपीलांट्स देवीसिंह वगैरह का कब्जा काश्त बताया गया है।

विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन मुताबिक अपीलांट्स देवीसिंह वगैरह की ओर से दिनांक 12.06.2023 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी प्रस्तुत कर वाद में पक्षकार संयोजित किये जाने का का निवेदन किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र को निस्तारित किये बिना तथा अपीलांट्स को मामले में पक्षकार संयोजित किये बिना तथा उन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत पारित किया जाना पाया जाता है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपीलांट्स देवीसिंह वगैरह की ओर से वादग्रस्त आराजी के संबंध में खातेदारी घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा बाबत विचारण न्यायालय में प्रस्तुत वाद वर्तमान में विचाराधीन है, जिसका निस्तारण जरिये साक्ष्य होना है। ऐसी स्थिति में दोनो वाद पत्रावलियो को समेकित कर साथ में निर्णित किये जाने हेतु विचारण न्यायालय को निर्देशित किया जाना न्याय हित में उचित है, जिससे पक्षकारान् के मध्य अनावश्यक मुकदमेबाजी एवं राजस्व रेकर्ड में में पेचिदगियॉ नहीं बढे।

यह भी उल्लेखनीय है कि विचारण न्यायालय द्वारा विचारण न्यायालय द्वारा प्रतिवादी/अपीलांट जयसिंह को साक्ष्य प्रस्तुति का पर्याप्त अवसर प्रदान किये बिना तथा वादीनी द्वारा चाहे गये वादग्रस्त आराजी में 1/4 हिस्से के चाहे गये अनुतोष तो बिना किसी संशोधन के 1/3 किया जाकर सहखातेदारी की अविभाजित भूमि के संबंध में अपीलांट जयसिंह के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना पाया जाता है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री विधिसम्मत नहीं पाये जाने से अदालत हाजा की राय में समर्थन योग्य नहीं ठहरते है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार प्रार्थना पत्र पर दोनो अपीले आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर उत्तर जोधपुर द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 386/2021 अनवान अंजु कंवर बनाम लक्ष्मी इत्यादि में पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 24 मई 2023 निरस्त किये जाकर मामला विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट्स की ओर से प्रस्तुत वाद को समेकित कर नियमानुसार कार्यवाही करते हुए उभय पक्षकारान् को अपना पक्ष प्रस्तुत करने एवं साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान कर मामले का विधिसम्मतः एवं न्यायोचित निस्तारण किया जावे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
जोधपुर